परिशिष्ट-1
प्रपत्र (अ)

संयुक्त निरीक्षण प्रतिवेदन

1. मार्ग का नाम	:-	ओझाटोला से अरी जलाशय पहुंच मार्ग का निर्माण
2. विभाग का नाम	:-	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र 1 सिवनी
3. निरीक्षण दिनांक	:-	27.08.2015
4. निरीक्षण के दौरान उपस्थित अधिकारी/कर्मचारी का नाम	:-	1. श्री डी. आर. चौधरी, अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन, उपसंभाग बरघाट 2. श्री एच. के. डोंगरे, उपयंत्री जल संसाधन विभाग, उपसंभाग बरघाट 3. श्री सवनेश उपाध्याय, प्रतिनिधि ठेकेदार मे. यू.बी.व्ही.इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि. रायपुर

---00---

दिनांक 27.08.2015 को शिकायत में उल्लेखित ओझाटोला से अरी जलाशय पहुंच मार्ग का संयुक्त निरीक्षण किया गया। उक्त मार्ग का निर्माण कार्य ठेकेदार मेसर्स मनीष कंस्ट्रक्शन कंपनी नैनपुर जिला मंडला द्वारा अनुबंध क्र./WPG.–03/सी.ई./सिवनी/13–14 दिनांक 03.05.13 द्वारा किया गया है, जिसका कार्यादेश क्र. 37/A/G/T-3/2013-दिनांक 01.04.2013 द्वारा जारी किया गया। (कार्यादेश की छायाप्रति संलग्न है) उक्त मार्ग की लंबाई 1.80 किमी. का निर्माण कार्य दिनांक 02.01.2014 को जल संसाधन विभाग द्वारा उक्त अनुबंध के तहत पूर्ण कराया गया है। विभाग द्वारा जारी पूर्णता प्रमाण पत्र संलग्न है। संयुक्त निरीक्षण के दौरान उक्त मार्ग क्षतिग्रस्त पाया गया, जिसके फोटोग्राफ्स संलग्न है। इस संबंध में कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग 1 सिवनी से जानकारी प्राप्त की गई है। कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि इस मार्ग के पूर्ण होने के बाद ड्रिप योजना के अंतर्गत अरी जलाशय के उन्नयन कार्य अंतर्गत वेस्टवियर एवं स्पिल चेनल के फालों का मरम्मत कार्य एवं बांध के बोल्डर टो एवं पिचिंग का कार्य अनुबंध क्र. 03/D.L./14–15 दिनांक 21.07.2014 द्वारा ठेकेदार मेसर्स यू. बी. व्ही. इन्फ्रास्ट्रेक्चर रायपुर को आबंटित किया गया, एवं कार्यादेश क्र. 2972/SAC/2014-2015 दिनांक 28.06.2014 द्वारा जारी किया गया। (कार्यादेश की छायाप्रति संलग्न है) अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उप संभाग बरघाट के क्र. 71/अ.वि.अधि. दिनांक 11.04.15 एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग सिवनी के पत्र क्र.1369/कार्य/सिवनी दिनांक 29.04.2015 द्वारा ठेकेदार मेसर्स यू. बी. व्ही. इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. रायपुर को पत्र लिखकर निर्देशित किया गया कि अरी जलाशय का जीर्णोद्धार कार्य प्रगति पर है। उक्त कार्य के उपयोग में आने वाली सामग्रियों का परिवहन ओझाटोला से अरी डेम तक नवीन निर्मित पहुंच मार्ग के साईड से करने हेतु अनेकों बार कहा गया, किंतु निर्देशों का पालन न करते हुये उक्त नवीन निर्मित मार्ग का उपयोग किया गया।

पेज क्रमांक 2

जिसमें भारी वाहनों एवं चैन वाले डोजर को जलाशय तक ले जाया गया है, जिसके फलस्वरूप मार्ग अत्यंत क्षतिग्रस्त हो गया है। अतः क्षतिग्रस्त हुए मार्ग का मरम्मत कार्य उपरोक्त अनुबंधित कार्य को पूर्ण करने के उपरांत पूर्व की स्थिति में किया जावें, अन्यथा संदर्भित अनुबंधित कार्य की सुरक्षानिधि से राशि कटौती की जावेगी। (संदर्भित पत्रों की छायाप्रति संलग्न है) इस संबंध में कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण संभाग क्र. 1 सिवनी के पत्र क्र. 4031/अ.क.-2/15-16 दि. 17.07.15 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र 1 सिवनी को अवगत कराया गया कि शुक्ला डेम (अरी जलाशय) के निर्माण एजेंसी मेसर्स यू. बी. व्ही. इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. कंपनी रायपुर के भारी वाहनों के परिवहन के कारण जुम्मटोला से ओझाटोला (लोक निर्माण विभाग के अधीन) तक लगभग 1.80 किमी. लंबाई में क्षतिग्रस्त हो गया है। श्री एस. के. जैन उपयंत्री लोक निर्माण विभाग एवं श्री आर. के. राय संबंधित ठेकेदार लोक निर्माण विभाग की उपस्थिति में दिनांक 07.07.2015 को रात्रि में पवार धर्मकांटा खगरिया में शुक्ला मार्ग (अरी जलाशय) में चल रहे वाहनों (ट्रकों) का वजन कराया गया। (पंचनामा की प्रति संलग्न है) जिसमें वाहन का वजन 35 टन से अधिक पाया गया। जबकि ओझाटोला से अरी जलाशय पंहुच मार्ग की डिजाईन 8 से 10 टन भार क्षमता के लिए बनाई गई है। उपरोक्त संदर्भित पत्रों से स्पष्ट है कि उक्त मार्ग मेसर्स यू. बी. व्ही. इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. रायपुर द्वारा भारी वाहनों के परिवहन के कारण क्षतिग्रस्त हुआ है।

ठेकेदार मेसर्स यू. बी. व्ही. इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. रायपुर को आबंटित अरी जलाशय का उन्नयन कार्य को पूर्ण करने की समयावधि दिनांक 22.01.2016 तक की है। अतः पूर्व निर्मित इस मार्ग पर निर्माण कार्य के दौरान ओवरलोडिंग परिवहन के कारण क्षतिग्रस्त हो चुके मार्ग की मरम्मत कार्य के लिये संबंधित ठेकेदार मेसर्स यू. बी. व्ही. इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. रायपुर से ही कार्य कराये के लिए कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 1 सिवनी को निर्देशित किया जाना प्रस्तावित है।

(जे.एस. बघेल)
कार्यपालन यंत्री
लोक निर्माण विभाग संभाग 1 सिवनी

(जे.पी. मेहरा)
महाप्रबंधक
म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
परियोजना क्रियान्वयन इकाई 3 सिवनी

परिशिष्ट-2

कार्यालय कार्यपालन यंत्री

जल संसाधन संभाग, क्रमांक-1, सिवनी (म.प्र.) पिन कोड नं. 480661

दूरभाष नं. 07692-220559, मोबाईल नम्बर - 9425680109 E-Mail ID: wrdn1seoni@rediffmail.com

ज्ञाप क्रमांक / 2529 / कार्य / 2015-16 / सिवनी,दिनांक 15 / 09 / 2015

प्रति,

मे. यू.बी.व्ही. इंफास्ट्रक्चर्स लि0

ए-22 सूर्या अपार्टमेंट

सिविल लाईन रायपुर (छत्तीसगढ)

विषय :- अरी जलाशय पहुंच मार्ग को क्षतिग्रस्त किये जाने बावत।

संदर्भ :- (1) अनुबंध क्र. 3/डी.एल वर्ष 2014-15 दि0 21.07.2014

(2) इस कार्यालय का पत्र क्र. 1369 / कार्य / 2015 सिवनी,दि0 29.04.2015

संदर्भित अनुबंध एवं विषयांतर्गत लेख है कि अरी जलाशय का रेमेडियल मेजर एवं बेसिक फेसिलिटी का कार्य अंतिम चरणों में है। जैसा कि पूर्व में भी आपको अवगत करा दिया गया था। वर्तमान में क्षेत्रिय विधायक एवं जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा कलेक्टर महोदय को मार्ग के क्षतिग्रस्त होने बावद शिकायत की गई है। इसी तारतम्य में कार्यपालन यंत्री लो.नि.वि.सिवनी द्वारा भी पत्र लिख कर इस कार्यालय को उनके गोकुलपुर शुक्ला -ओझाटोला मार्ग (1.80कि. मी) मरम्मत किए जाने हेतु लिखा गया है महाप्रबंधक प्र.स.प्रा.सिवनी इकाई-3 तथा कार्यपालन यंत्री लो.नि.वि.सिवनी के संयुक्त निरीक्षण के पश्चात भी यही निष्कर्ष निकला की वाहनों के "ओव्हर लोडिंग" होने के कारण मार्ग क्षतिग्रस्त हुआ है।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि कार्य पूर्ण करने के साथ ही क्षतिग्रस्त मार्ग को पूर्वत् मरम्मत करवाये। अन्यथा संदर्भित अनुबंधित कार्य की सुरक्षा निधी से राशि कटौती कर विभाग द्वारा मार्ग का मरम्मत कराया जावेगा।

(जी0पी0सिलावट)
कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन संभाग क्रमांक 1,
सिवनी (म0प्र0)

पृ0 क्रमांक / 2530 / कार्य / 2015-16 / सिवनी,दिनांक 15 / 09 / 2015

प्रतिलिपिः-

(1) अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उप संभाग बरघाट।

(2) वरिष्ठ लेखा लिपिक संभागीय कार्यालय सिवनी।

की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

(जी0पी0सिलावट)
कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन संभाग क्रमांक 1,
सिवनी (म0प्र0)